



केन्द्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
Central Tasar Research & Training Institute
(केन्द्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार)
(Central Silk Board, Ministry of Textiles, Govt. of India)
पिस्का-नगड़ी, राँची – 835 303 (झारखण्ड)
Piska-Nagri, Ranchi – 835303 (Jharkhand)

Phone: 0651-2775815, 2775628, 2775035; Fax: 0651-2775629; Email: ctrtcsb@gmail.com, ctrtiran.csb@nic.in

स.क.त.अ.व.प्र.स./प्र.प्र.ए.कृ.वा.अ./नालामा/24-25/5539

नीलामी सूचना

दिनांक: 13 FEB 2025

सर्वसाधारण को यह सूचित किया जाता है कि के.त.अ.व.प्र.सं. नगड़ी राँची के प्रक्षेत्र प्रबन्धन एवं कृषि वानिकी अनुभाग में दिनांक 03.03.2025 से 05.03.2025 तीन दिनों तक 11.00 बजे पूर्वान्हन में जलावन लकड़ियों की नीलामी की जायेगी जिसका विवरण इस प्रकार है :-

प्लॉट नं.	कटाई-छँटाई का विवरण	नीलामी की तारीख
2, 5, 8, 11, 12, 13	पूनिंग 6 फीट ऊपर से करनी है।	03.03.2025
14, 15, 16, 17, 18, 19	पूनिंग 6 फीट ऊपर से करनी है।	04.03.2025
20, 21, 22, 23, 24	पूनिंग 6 फीट ऊपर से करनी है।	05.03.2025

नीलामी की कार्रवाई में भाग लेने के नियम व शर्तें

1. नीलामी की कार्रवाई के.त.अ.व.प्र.सं. नगड़ी राँची के प्रक्षेत्र प्रबन्धन एवं कृषि वानिकी अनुभाग में होगी।
2. लकड़ी जहाँ रखी है वही स्थिति में नीलाम होगी।
3. नीलामी में भाग लेने वाले इच्छुक व्यक्ति को रु. 300.00 ई.एम.डी.राशि के रूप में नीलामी से पहले Director, CTR&TI, Ranchi A/C No. 1917804302, IFSC Code- CBIN0282343 शाखा सुखदेवनगर, राँची के नाम चेक, बैंक ड्राफ्ट, ऑनलाइन ट्रान्सफर के माध्यम से जमा करनी होगी। साथ ही पुष्टि हेतु जमा की गई राशि का प्रमाण देना होगा।
4. ई.एम.डी.राशि रु. 300/- जमा करने के पश्चात नीलामी की बोली में भाग नहीं लेने वाले व्यक्ति की ई.एम.डी. राशि जब्त कर ली जायेगी।
5. नीलामी में सफल बोली लगाने वाले व्यक्ति को निर्धारित मूल्य का 25 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा बकाया राशि 7 दिनों के अन्दर एक मुश्त में जमा करना होगा।
6. पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात 10 दिनों के अन्दर नीलामी लकड़ियों को प्रक्षेत्र परिसर से हटा लेना होगा अन्यथा उक्त लकड़ियों को जब्त कर लिया जायेगा।
7. नीलाम की गयी लकड़ियों / टहनियों को हटाने समय संस्थान की वस्तुओं / पेड़ पौधों को किसी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए।
8. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर बिना कारण बताये नीलामी को रद्द करने का अधिकार निदेशक, के.त.अ.व.प्र.सं. नगड़ी, राँची के पास सुरक्षित रहेगा।
9. इस नीलामी में किसी भी प्रकार का विवाद होने पर निर्णय लेने का सारा अधिकार निदेशक, के.त.अ.व.प्र.सं. नगड़ी, राँची, झारखण्ड को रहेगा।

प्रति :-

1. सूचनापट, मुख्य परिसर के.त.अ.व.प्र.सं. नगड़ी राँची।
2. सूचनापट, प्रक्षेत्र परिसर के.त.अ.व.प्र.सं. नगड़ी राँची।
3. सूचनापट, पोस्ट ऑफिस, नगड़ी, राँची।
4. सूचनापट, बैंक ऑफ़ इंडिया, नगड़ी, राँची।
5. सूचनापट, प्रखंड विकास कार्यालय, नगड़ी, राँची।
6. सूचनापट, अंचल कार्यालय नगड़ी, राँची।
7. सूचनापट, अंचल कार्यालय इटकी, राँची।
8. डॉ.कर्मवीर जेना, वैज्ञानिक-डी अध्यक्ष, के.त.अ. व प्र.सं., नगड़ी, राँची।
9. डॉ.हरेन्द्र यादव, वैज्ञानिक-सी सदस्य, के.त.अ. व प्र.सं., नगड़ी, राँची।
10. श्री हरगोपाल दत्ता, वैज्ञानिक-बी सदस्य, के.त.अ. व प्र.सं., नगड़ी, राँची।
11. श्री सर्वेश कुमार सिंह, स.नि.(प्र. व ले.) सदस्य, के.त.अ. व प्र.सं., नगड़ी, राँची।
12. श्री प्रमोद कुमार दूबे, व.त.सहायक सदस्य, के.त.अ. व प्र.सं., नगड़ी, राँची।
13. श्री अजय कुमार तिवारी, उ.श्रे.लि. सदस्य, के.त.अ. व प्र.सं., नगड़ी, राँची।

✓ 14. श्री पी.के. महापात्र, सहायक निदेशक संयुक्त के.त.अ. व प्र.सं. नगड़ी राँची की वेबसाइट पर उपलब्ध हेतु।

निदेशक
13/2/25